



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/29/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 44/2025

दिनांक: 17.09.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा जारी रिक्ति परिपत्र CCU/01/2025 दिनांक 08.05.2025 के फलस्वरूप जारी स्थापना आदेश सं. CCU-64/2025 दिनांक 19.08.2025 की अनुपालना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण के उपरान्त **प्रशासनिक अधिकारी** की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

| क्रम. सं. | अधिकारी का नाम | जन्मतिथि | कहाँ से | कहाँ को |
|-----------|------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | श्री संदीप कुमार | 13.05.1985 | कार्यग्रहण पर (प्रतिनियुक्ति पर) | सीजीएसटी, अलवर |

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 17.09.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जयपुर/ अलवर
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (स्था.1), कार्यालय प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली
3. जोनल लेखाधिकारी, आयकर भवन, रोहतक
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. सम्बंधित अधिकारी।
6. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
7. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE